आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–113 / 2020–21

1. सोनी प्रजापति, पति–मंगल प्रजापति, सा०–सोनाहातु, पो०+थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।...अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू।..विपक्षी।

आदेश

19.12.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–796 R27 / 2019-2020 में दिनांक–13.06.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	50	4710	04 डिसमील

चौहदीः– उ०–प्लॉट नं०–4711, द०–राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच० 33), पू०–अर्चना दत्ता, प०–सीमा साहु।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त भूमि को विक्रेता कन्हैया लाल साहु वो लक्ष्मीनारायण गुप्ता दोनों पिता–स्व० विष्णुचरण साहु वो अरूण कुमार गुप्ता वो अनिल कुमार गुप्ता वो दीपक कुमार गुप्ता तीनों पिता–स्व० सत्यनारायण साहु वो संजय कुमार गुप्ता वो अमर प्रसाद गुप्ता दोनों पिता स्व० पंचरतन साहु सभी ग्राम+पो०–कांची, थाना–बुण्डू, जिला–राँची से दिनांक–22.10.2019 को निबंधन पट्टा द्वारा अपीलार्थी ने क्रय किया है। आवेदित भूमि के चौहद्दीदारों द्वारा क्रेता का दखल–कब्जा अस्पष्ट बतलाने की स्थिति में अपीलार्थी का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। उक्त क्रय किए गए भूमि पर अपीलार्थी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है एवं चौहद्दीदारों का किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। अतः इसी आधार पर यह अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को आवेदित भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश दिया जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–796 R27 / 2019-2020 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि के चौहद्दीदारों द्वारा क्रेता का दखल कब्जा स्पष्ट नहीं बताया गया। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा ठीक से जाँच–पड़ताल किए बिना ही नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनने एवं आवेदित भूमि का स्थानीय जाँचोपरांत नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.24 11:25:03 +05:30
Location: 10.93.79.7

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,बुण्डू(राँची)।

1143(ii)/ले०
31.12.2020